# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2017/00066

1. द्वारका बाई पुत्री देव्या पत्नी श्री रामकरण जाति मेहर निवासी– 1 –जी–28 संजय गॉधी नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. कान्ति बाई पुत्री देव्या पत्नी श्री सत्यनारायण जाति मेहर निवासी सूरसागर कच्ची बस्ती, कोटा ।
3. कमलेश पुत्री देव्या पत्नी कालूलाल जाति मेहर निवासी नाले के पास सूरसागर कच्ची बस्ती कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. बाबूलाल आत्मज श्री भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मधु बाई बेवा बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका ।
   1/2. सायद आत्मज बाबूलाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मधु बाई बेवा बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका ।
   1/3. सोनिया पुत्री बाबूलाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मधु बाई बेवा बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका ।
   1/4. अंतिमा पुत्री बाबूलाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मधु बाई बेवा बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका ।
   1/5. ज्योति पुत्री बाबूलाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मधु बाई बेवा बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका ।
   1/6. मुस्कान पुत्री बाबूलाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मधु बाई बेवा बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका ।
2. श्रीमती चन्दू बाई बेवा श्री भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील तालेडा जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
3. रघुनन्दन आत्मज श्री गणेश राम जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. पन्ना लाल आत्मज गणेश राम जाति निवासी ग्राम विनायका तहसील तालेडा जिला बून्दी
5. धन्नी बेवा गणेशराम जाति निवासी ग्राम विनायका तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. बाबू आत्मज देव्या जाति मेहर निवासी रतनेरी मोहल्ला केथून तहसील एवं जिला कोटा ।
7. दौलत आत्मज श्री मोहन लाल अवयस्क जरिये माता कमला पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. कमला पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम विनायक तहसील तालेडा जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
10. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 31.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम विनायक तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 165/1 वर्तमान खसरा नम्बर 185 रकबा 15 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि तत्कालीन खातेदार देव्या पुत्र घांसी मेहर निवासी विनायक से प्रार्थी क्रम 01 के पिता एवं अप्रार्थी क्रम 05 लागयत 6 के पिता गणेश राम मीणा ने एवं भंवर लाल आत्मज उद्दा मीणा ने दिनांक 30.06.1970 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । तत्कालीन क्रेता भंवर लाल व गणेशराम अपने जीवनकाल में उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात् उस पर काबिज होकर काश्त करते रहे एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अप्रार्थीगण व उनके पिता का उक्त भूमि पर दिनांक 30.06.1970 से विक्रय करने के बाद से कब्जा काश्त नहीं रहा है । उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की कब्जा लेने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमिसे देव्या आत्मज घांसी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे । अप्रार्थीगण उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाकर उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा अप्रार्थीगण क्रम 07 उक्त भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण के नाम नहीं खोले ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.08.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण क्रम 1, 2 व 4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार देव्या पुत्र घांसी जाति मेहर थे जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा कृषि भूमि का हस्तान्तरण ऐस व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो । उक्त बेचान 42 बी के उल्लंघन में है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्टगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । रेस्पोडेन्टगण ने सन् 1970 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आराजी को क्रय करने का कथन किया था । इस आधार पर दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जबकि धारा 42 बी के उल्लंघन में विक्रय होने से रेस्पोडेन्टगण को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं होता है । विक्रय पत्र के आधार पर कब्जे का अन्तरण नहीं माना जा सकता । अवैध विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में नहीं होता है, उनको वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.08.2016 अपास्त किया जावे । विकल्प में 10000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति की राशि रेस्पेडेन्टगण से जमा करवायी जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 596, आरआरडी 1995 पेज 76 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है रहन, बेचान पर स्थगन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है । वादग्रस्त आराजी रिकॉर्ड में अपीलान्ट के खाते में ही दर्ज है और कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है । 1970 में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है अपीलान्ट के सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 11.08.2016 की आदेशिका के

अनुसार अप्रार्थी क्रम 5 लगायत 8 की तलबी में लम्बित थी और दिनांक 17.08.2016 को सीधे ही बहस सुनी गई है और निर्णय पारित किया गया है । अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है । शेष अप्रार्थीगण की तलबी भी नहीं हुई है बिना जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त किये, बिना शेष अप्रार्थीगण की तलबी किये सीधे ही बहस सुनकर जो निर्णय पारित किया गया है वह सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

10. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शेष पक्षकारान की तलबी कर समस्त अप्राथीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 03.05.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा